

## प्रेस नोट

पुलिस अधीक्षक कानपुर देहात के निर्देशन में दिनांक:- 12.08.2022 को जनपद में अपराधियों के विरुद्ध व अपराध नियन्त्रण हेतु चलाये जा रहे अभियान एवं जनपद में शान्ति व्यवस्था कायम रखने हेतु की गयी कार्यवाही का विवरण:-

- थाना भोगनीपुर पुलिस द्वारा अभियुक्त प्रमोद कुमार उर्फ गुड्डू पुत्र स्व० श्रीराम नि० शेरपुर गुढ़ा थाना मूसानगर कानपुर देहात के कब्जे से 05 लीटर कच्ची देशी शराब नाजायज बरामद कर गिरफ्तार किया गया अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की गयी।
- थाना डेरापुर पुलिस द्वारा वांछित अभियुक्तगण 1. राजन पुत्र असर्फीलाल 2. विपिन पुत्र जयराम नि०गण ग्राम दुर्जनपुरवा थाना डेरापुर कानपुर देहात के कब्जे से 01 अदद चोरीशुदा अल्टीनेटर बरामद कर गिरफ्तार किया गया अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की गयी।
- थाना शिवली पुलिस द्वारा अभियुक्तगण 1. मान सिंह पुत्र प्रेम लाल 2. रामकुमार पुत्र रूपेलाल 3. ओमकार पुत्र रामकिशन 4. मुरारी पुत्र विश्राम सिंह 5. बडेलाल पुत्र रघुनाथ सिंह 6. नरेन्द्र कुमार पुत्र छेदी लाल 7. संजू पुत्र मान सिंह 8. शिवनाथ पुत्र कन्हैया लाल 9. दयाशंकर पुत्र पंथा 10. रामचन्द्र पुत्र मौजीलाल नि०गण ग्राम भाउपुर थाना शिवली कानपुर देहात को हारजीत की बाजी लगाकर जुआ खेलते हुये गिरफ्तार किया गया अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की गयी।
- थाना मंगलपुर पुलिस द्वारा वांछित अभियुक्तगण 1. टोनी उर्फ गुड्डा पुत्र मुन्ना सिंह 2. विक्रम प्रताप पुत्र प्रमोद 3. प्रमोद सिंह पुत्र रूप सिंह 4. अजय प्रताप पुत्र डिप्टी सिंह नि०गण नेपालापुर थाना मंगलपुर कानपुर देहात को गिरफ्तार कर विधिक कार्यवाही की गयी।
- थाना शिवली पुलिस द्वारा वांछित अभियुक्त कन्हैया लाल पुत्र स्व० गुरुप्रसाद नि० केसरीनिवादा थाना शिवली कानपुर देहात को गिरफ्तार कर विधिक कार्यवाही की गयी।
- जनपद मे शांति व्यवस्था कायम रखने हेतु जनपद पुलिस द्वारा 32 व्यक्तियों का चालान धारा 151 द०प्र०सं० में किया गया। जिसमें थाना अकबरपुर पुलिस द्वारा 08 व्यक्तियों, थाना राजपुर पुलिस द्वारा 01 व्यक्ति, थाना डेरापुर पुलिस द्वारा 04 व्यक्तियों, थाना भोगनीपुर पुलिस द्वारा 04 व्यक्तियों, थाना मंगलपुर पुलिस द्वारा 04 व्यक्तियों, थाना गजनेर पुलिस द्वारा 01 व्यक्ति, थाना रुरा पुलिस द्वारा 07 व्यक्तियों, थाना रसूलाबाद पुलिस द्वारा 02 व्यक्तियों, थाना शिवली पुलिस द्वारा 01 व्यक्ति का धारा 151 द०प्र०सं० के अन्तर्गत चालान किया गया।